

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमार पुत्र रामफेर नि0 ग्राम रसूलपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—326 / 21, धारा 60 आकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामचरन पुत्र स्व0 कालीदीन नि0 बनगांव मुरावन पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—269 / 21, 02. अंजनी कुमार पुत्र मुट्टुर वर्मा नि0 चन्द्रसुहा बैरागीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—270 / 21, धारा 60 आकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय कुमार चौहान पुत्र नंगा चौहान नि0 ग्राम पाण्डेयपुरवा बक्सरा आज्ञाराम थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—280 / 21, 02. गंगाराम चौहान पुत्र कोरई उर्फ राजकुवर नि0 ग्राम बलुआ उपाध्यायपुर ग्रन्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—281 / 21, 03. लक्ष्मी देवी पत्नी शिख्मू निवासिनी ग्राम खटकहिया अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—283 / 21, धारा 60 आकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दीपू उर्फ दीपचन्द्र पुत्र राजेश्वरी प्रसाद नि0 मन्सुखपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—262 / 21, 02. मंगरू पुत्र बुद्ध नि0 उल्लाह थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—263 / 21, धारा 60 आकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामपाल पुत्र कृष्णा प्रसाद नि0 खालेपुरवा लक्ष्मनपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—348 / 21, 02. मन्ना पत्नी मोनू निवासिनी

ग्राम खम्हरिया हरवंश थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३४९ / २१, ०३. मुन्नी देवी पत्नी स्व० पूरन सोनकर नि० खम्हरिया हरिवंश थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-३५० / २१, धारा ६० आकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

०६. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

०१. रामबालक उर्फ लल्लू पुत्र नान्हू नि० मांदे थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-७४२ / २१, धारा ६० आकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2021

गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों— 01. राकेश कुमार, 02. शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी दलजीत सिंह व उनके परिजनों को आपसी विवाद के चलते लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी के पिता को गम्भीर चोटें आयी थीं और उनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राकेश पुत्र छेदी नि० भवनियापुर उपाध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. शिवम पुत्र राकेश कुमार नि० भवनियापुर उपाध्याय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—२२२/२१, धारा ३०४,३२४,३२३,५०४ भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० शादाब आलम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2021

दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों—01. राहुल, 02. ननकई को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी अर्जुन पुत्र राधेश्याम की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. राहुल पुत्र राजकुमार उर्फ आडवाणी निर्दल उल्लाह हरसहाय पुरवा थाना को 01 करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. ननकई पत्नी राजकुमार उर्फ आडवाणी निर्दल उल्लाह हरसहाय पुरवा थाना को 01 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—337/21, धारा—498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उर्द्दनिर्दल कन्हैया दीक्षित मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2021

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मो0 अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अल्पामेड की 180 टेबलेट बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो0 अली पुत्र लल्लन नि0 बड़ी मस्जिद थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—257 / 21, धारा 8 / 22 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्पामेड की 180 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

व0उ0नि0 नीरज कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2021

ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत डीजल चोरी करने का अभ्यस्त गैंगेस्टर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया था। जिसके अन्तर्गत जनपद के विभिन्न थानों में गैंग बनाकर अपराध करने वाले शातिर व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाहियां की गयी थीं। आज मनकापुर पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले 01 अभ्यस्त गैंगेस्टर अपराधी को ऑपरेशन गैंगेस्टर अभियान के अन्तर्गत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

थाना मनकापुर पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त— खान मोहम्मद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गैंगेस्टर अभ्यस्त अपराधी है जो अपने संगठित गिरोह के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी, नकबजनी व डीजल चोरी जैसे अपराधों में लिप्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. खान मोहम्मद पुत्र पीरु निरु बुधईपुरवा थाना कोरोनगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-216/21, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-282/21, धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उनिरोनि सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.07.2021

लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने की आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने की वांछित अभियुक्ता—सकीना पत्नी करम अली को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गयी थी। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता—

01. सकीना पत्नी करम अली नि0 वार्ड 2 कस्बा व थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—178 / 2021 धारा 363,366,368 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 वसी अहमद मय टीम।

